मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1992 में "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959" के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसमें संरक्षित सीमाओं से 100 मी० तक के तथा इसके समीपस्थ अथवा इससे लग हुए 200 मी० तक के क्षेत्र को खनन-कार्य और निर्माण-कार्य, दोनों कार्यों के लिए क्रमश: निषिद्ध तथा विनियमित घोषित किया गया है । इस संशोधन के अनुसार, केन्द्रीय संरक्षणाधीन, जन्तर मन्तर तथा अन्य स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति को खनन-कार्य या निर्माण-कार्य करने की अनुमति नहीं है ।

Seminar of financial and educational experts

8417. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a seminar of 50 financial and educational experts of the capital was organised at the University of Delhi by the All India Research Scientists Association recently;

(b) whether they have stressed upon the need for a national policy of university funding based on university industry interaction; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KM. SELJA): (a) to (c) According to the information received from University of Delhi a seminar on the subject was organised and most of the participants were of the view that though it is the constitutional and social responsibility of the Government to maintain all educational institutions, but universities should generate additional resources for developmental needs from outside sources like NRIs, Industries Endowments, Alumini, consultancy etc... The UGC also favours encouragement of generation of additional resources by the Universities.

हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

8418. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिन्दी प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० शैलजा) : (क) और (ख) सरकार हिन्दी भाषा की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित सात विस्तृत योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं :—

(1) हिन्दी की प्रोन्नति, जिसमें प्रकाशन भी शामिल है, के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । वर्ष 1994-95 के दौरान हिन्दी के 162 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई ।

(2) गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण । वर्ष 1994-95 के दौरान गैर हिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए 575.20 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ।